

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in
सं०-राज/बाड-37/सिअर्थ-18

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhapura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202
दिनांक. 27-03-2018

प्रेषित मै हरितसन्स मिनटेक प्रा. लि.
ग्राउंड फ्लोर, ननदम-11, ए-2,
तिलक मार्ग, सी स्कीम
जयपुर 302005

विषय: राजस्थान राज्य के बाडमेर जिले में स्थित आपकी बरियाडा सिलिसियस अर्थ खान क्षेत्रफल 4.5 हैक्टेयर (ML .
05/2010) मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन, खान कोड 97RAJ04011.

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 16.02.2018 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(2)	As per table given under para 3.2D(ii){Geology & Exploration chapter} of approved Mining Plan , it is proposed to put three prospecting pits size of 2x2 of each 2 mts depth during the 1st year i.e for 2014-15 and three prospecting pits size of 2x2 of each 2 mts depth in IInd year i.e 2015-16 for exploration purpose, But during the field visit it is observed that till date No prospecting pits have been observed.
26 (2)	पट्टाधारी/ऐजेन्ट/प्रबन्धक या खनि अभियन्ता को प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई तक यह जानकारी देनी है कि खान में प्रोग्रेसीव खनन बन्द योजना के प्रस्तावों के अनुसार रक्षित एवं पुनःस्थापित कार्य (Protective & rehabilitative works) किस प्रकार/अनुपात में किये जा रहे हैं तथा यदि कोई विचलन आ रहा हो, तो उसका कारण क्या है। परन्तु आपके द्वारा नियम 26(2) की अनुपालना के लिये 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
27	आपकी उपरोक्त खान के लिये नियमानुसार वैध वित्तिय आश्वासन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
28	नियमानुसार खान में खनन कार्य मार्च 2017 से बन्द करने की सूचना निर्धारित प्रपत्र -ई में अभी तक प्रेषित नहीं की गई है।
45(5)(c)	Every holder of a mining lease shall submit online Annual returns before the 1 st day of July each year for preceding financial year along with signed print copy. But till date Annual return for the year 2016-17 have not been submitted to Regional Controller of Mines, Ajmer.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत
(क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।
- 2) निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
- 3) गार्ड फाईल

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो